छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
//संशोधन आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 13/08/2018

क्रमांक 1002/एफ 2015–01–0723/2013/स्था/चार:: वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–11/2013/स्था./चार, दिनांक 17.04.2018 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित), नियम 2013 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:–

"20 परिवीक्षा:– सीधी भर्ती के माध्यम से या पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा/परीक्षण पर नियुक्त किया जायेगा"

2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा का सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम–9 स्थानापन्न शासकीय कर्मचारियों की उपयुक्तता के लिये परीक्षण:–

कोई व्यक्ति जो पहले से ही, स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाये, उस सेवा या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिए सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि के लिए स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा:

3. अतः कंडिका 2 के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–38/2015/स्था./चार, दिनांक 03/03/2017 द्वारा अधीनस्थ सेवा संवर्ग (तृतीय श्रेणी) के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रु. 15600–39100/ग्रेड वेतन रु. 5400/ में पदोन्नत करते हुए दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था, के उक्त आदेश को राज्य शासन एतद्द्वारा संशोधित करते हुए "परिवीक्षा शब्द" के स्थान पर "स्थानापन्न" प्रतिस्थापित करता है।

4. कंडिका 2 के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–38/2015/स्था./चार, दिनांक 16/10/2017 द्वारा अधीनस्थ सेवा संवर्ग (तृतीय श्रेणी) के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रु. 15600–39100/ग्रेड वेतन रु. 5400/ में पदोन्नत करते हुए दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था, के उक्त आदेश को राज्य शासन एतद्द्वारा संशोधित करते हुए "परिवीक्षा शब्द" के स्थान पर "स्थानापन्न" प्रतिस्थापित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

13/8/2018

(प्रेमा गुलाब एक्का)
अवर सचिव

निरंतर.....2 पर

पृ. क्र.1003/एफ 2015–01–0723/2013/स्था./चार नया रायपुर, दिनांक 13/8/2018

प्रतिलिपिः–

01. राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
02. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
03. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
04. रजिस्ट्रार जनरल /महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
05. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर
06. प्रमुख आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
07. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्युरो
08. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग/राज्य वित्त आयोग/राज्य सूचना आयोग, रायपुर
09. छत्तीसगढ़ के आयोग/प्राधिकरण/निगम/मंडल/उपक्रम/संघ/प्राधिकार में पदस्थ समस्त सचिव/प्रबंध संचालक
10. छत्तीसगढ़ के समस्त राज्य स्तरीय मिशन कार्यालय में पदस्थ मिशन संचालक
11. छत्तीसगढ़ के समस्त नगर पालिक निगम में पदस्थ आयुक्त
12. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
13. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
14. अध्यक्ष, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. संस्था प्रमुख, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा, रायपुर
16. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, छत्तीसगढ़, रायपुर
17. महानिदेशक/संचालक, राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर
18. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ रीजनल सांईस सेन्टर सोसाईटी, रायपुर
19. सचिव, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग/राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार/राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, छत्तीसगढ़, रायपुर
20. संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, नया रायपुर
21. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
22. समस्त कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, रायपुर
23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर
24. छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के समस्त अधिकारीगण

——————की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ

13/8/2018

(प्रेमा गुलाब एक्का)

अवर सचिव